

तारिख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या: 02/2025

नम्बर व तारिख
अहकाम जो इस
हुक्म की
तामिलमें जारी
हए

12-06-2025

प्रकरण में आज दिनांक 12-6-2025 को गैरसायल नितीन उर्फ निलेश पुत्र भरत कुमार, जाति- कोली, निवासी- सेन्ट मार्टिन स्कूल के पीछे, गांधीनगर, आबूरोड़, पुलिस थाना आबूरोड़, जिला-सिरोही ने इस न्यायालय में अजखुद उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध करने से पत्रावली आज पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी, सिरोही उपस्थित। गैरसायल नितीन उर्फ निलेश पुत्र भरत कुमार, जाति- कोली, निवासी- सेन्ट मार्टिन स्कूल के पीछे, गांधीनगर, आबूरोड़, पुलिस थाना आबूरोड़ उपस्थित। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री एजाज अहमद ने जरिये वकालतनामा उपस्थित दी। प्रकरण में गैरसायल की ओर से प्रस्तुत जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने बहस के दौरान इस्तागासा में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसायल को छः माह की अवधि के लिये जिले से निष्कासित करने का अनुरोध किया। जबकि गैरसायल के वकील ने अनुरोध किया कि गैरसायल गरीब व मजदूर पेशा व्यक्ति है तथा वर्तमान में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। अतः गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासा खारिज किया जावे।

प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली उपलब्ध साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार गैरसायल नितीन उर्फ निलेश पुत्र भरत कुमार, जाति- कोली, निवासी- सेन्ट मार्टिन स्कूल के पीछे, गांधीनगर, आबूरोड़, पुलिस थाना आबूरोड़ शहर के विरुद्ध पुलिस थाना, आबूरोड़ शहर में राजस्थान सार्वजनिक धुत (जुआ) अध्यादेश, 1949 की धारा 13 के तहत अपराध संख्या 46 दिनांक 08-2-2024, 116 दिनांक 01-4-2024, 198 दिनांक 07-6-2024, 231 दिनांक 27-6-2024, 379 दिनांक 03-12-2024 व 07 दिनांक 02-01-2025 को दर्ज हुये है व अपराध संख्या 155 दिनांक 05-7-2022 धारा 147, 149, 323, 336 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज हुआ है। धारा 13 राजस्थान सार्वजनिक धुत (जुआ) अध्यादेश, 1949 के तहत दर्ज उक्त 6 अपराधों में गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये जिनमें गैरसायल को संबंधित न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराते हुए जुर्माने से दण्डित किया है। न्यायालय पत्रावली पर उक्त अपराध संख्या 379/03-12-2024 व 07 दिनांक 02-1-2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की व आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि उक्त अपराध संख्या 379/03-12-2024 व 07 दिनांक 02-1-2025 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 10-12-2024 व 10-01-2025 के अनुसार गैरसायल को संबंधित न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि गैरसायल

.....लगातार

वि. जिला अधिकारी
सिरोही-307001.



Nitin
E. Phalke

तारिख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या: 02/2025

नम्बर व तारिख
अहकाम जो इस
हुकम की
तामिलमें जारी
हुए

12-06-2025

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(v) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है, लेकिन गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 02-1-2025 के बाद कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है।

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरौही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुए गैरसायल नितीन उर्फ निलेश पुत्र भरत कुमार, जाति-कोली, निवासी-सेन्ट मार्टिन स्कूल के पीछे, गांधीनगर, आबूरोड़, पुलिस थाना आबूरोड़ शहर को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 30 दिन की अवधि के लिये उपखण्ड क्षेत्र, आबूरोड़ से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के उपखण्ड क्षेत्र आबूरोड़ की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क आदि के आस-पास अपनी उपस्थिति नहीं देगा। गैरसायल उक्त निष्कासन अवधि में दिनांक 23-6-2025 व 03-7-2025 को पुलिस थाना रेवदर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तों का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 50,000/- (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। निर्णय/आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। इस प्रकरण में गैरसायल के विरुद्ध जारी वारन्ट गिरफ्तारी को थानाधिकारी, पुलिस थाना आबूरोड़ शहर से अदम तामिल मंगवाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, आबूरोड़ शहर/रेवदर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

पति. विला राजिस्ट्रार

सिरौही-307081.

